बलदेव सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

फौजदारी अपील संख्या 553/2008

दिनांक- 06.05.2009

एस.बी.सिन्हा व डॉ मुकुंदकम शर्मा जेजे

दण्ड संहिता 1860

एस 302/120 बी- निचली अदालत षडयंत्रकारियों को दोषसिद्ध किया- जिनमे से मुख्य अभियुक्त को अंतर्गत धारा को 302 मे और अन्य को अंतर्गत धारा 302/34 सपठित धारा 450 और आर्म्स एक्ट के अंदर दोषसिद्ध किया षडयंत्रकारियों की दोषसिद्धि को चुनौती दी गयी- यह निर्धारित किया गया की जब मुख्य अभियुक्त की दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 120 बी में नहीं की गयी है तो केवल षडयंत्रकारियों के अंतर्गत धारा 302/122- मुख्य अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी के समक्ष स्वीकारोक्ति, अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रहा इसलिए षडयंत्रकारियों के विरूद्ध दोषसिद्धि का आधार नहीं माना जा सकता है- षडयंत्रकारियों को अतिरिक्त

न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है- उच्च न्यायालय का निर्णय अपाहस्त किया जाता है- साक्ष्य 120 बी- आपराध के आवश्यक तथ्य साक्ष्य- अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति- विश्वसनीयता- अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति कमजोर प्रकृति के साक्ष्य है, दोषसिद्धि हेतु अन्य संपुष्टि कारक साक्ष्य होने चाहिए अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति विश्वसनीय होनी चाहिए- न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि क्या न्यायालय के द्वारा अपींलाट षडयंत्रकारियों की अपराध अंतर्गत 302/120 बी भा0 दंड संहिता मे कठोर आजीवन कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माने से दंडित किये जाने की दोषसिद्धि विधि अनरूप है यह नहीं -

1.1 आपराधिक षडयंत्र का अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें एक से अधिक लोगों का शामिल होना आवश्यक है। यह एक आपराधिक षडयंत्र स्वतंत्र अपराध है जो कि पृथक से दंडित किये जाने योग्य है। इस अपराध निम्न आवश्यक तत्व है कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कार्य जो अवैध जो हो करने या करवाने को सहमत होते हो। सामान्यतया कोई भी षडयंत्र गुप्त रूप से रचा जाता है इस निष्कर्ष पर पहुचने के लिए की अपराध किया गया है या नहीं परिस्थिति साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक है। हालांकि ऐसा करते समय यह आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि केवल आपराधिक ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है आशय होना भी आवश्यक है। 'पैरा 9' '866-डी-एफ

2.1 घटना दिनांक 17.02.2001 को घटित हुई अपीलांट घटना की तारीख से एक दिन भारत से वेकुवर 'कनाडा' के लिए रवाना हो गया था जब वह अगस्त 2004 मे भारत वापस आया तब उसे गिरफतार कर लिया गया। मुख्य आरोपी ए एस और एच एस का विचारण अलग-अलग किया गया। एच एस को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और ए एस को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें आईपीसी की धारा 450 के तहत भी दोषाी माना गया। वही एच एस को अंतर्गत धारा 27 आर्म्स एक्ट मे भी दोषी पाया गया व ए एस को अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट मे भी दोषी पाया गया।

2.2 ए एस और एच एस पर धारा 120बी के तहत आरोप नहीं लगाया गया है निचली अदालत ने एलके पी डब्लूयू 26 की साक्ष्य को भरोसा करते हुये अपीलांट के खिलाफ दोषसिद्ध एवं सजा का निर्णय दिया जो एक टैक्सी डाइवर था जिसने कथित साजिश रचने के संबंध मे आरोपियों के बीच बातचीत सुनी थी इसके आतिरिक्त ए एस द्वारा एस एस पी डब्लूयू 22 के समक्ष संस्वीकृति का आधार भी लिया गया यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त दो साक्ष्यों के अलावा कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है इसके अतिरिक्त पी डब्लूयू 26 के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। 'पैरा ''864-सी-डी'

2.3 न्यायेतर स्वीकारोक्ति के साक्ष्य आम तोर पर कमजोर प्रकृति के होते है। आमतौर पर कोई भी दोषिसिद्धी केवल उस पर आधारित नहीं हो सकती जब तक कि इसकी पुष्टि भौतिक विवरणों से न की जाए। न्यायेतर स्वीकारोक्ति को विष्वसनीय पाया जाना चाहिए। पीडब्लू 22 की जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ मामलों में भी की गयी थी। उसके सामने सुझाव रखा गया कि वह पुलिस दलाल है। इसलिए उनके सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि उसके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो वह दोषसिद्धी और सजा का निर्णय दर्जकरने का आधार नहीं बन सकता था और वह भी साजिष के मामलें में। कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में सह-अभियुक्त के खिलाफ सजा का फैसला दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

योगेष व सचिन जगदीष जोषी बनाम महाराष्ट राज्य (2008) 6 स्केल 469: निर्मल सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य। (2008) 14 स्केल 639, रामलाल नारंग बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1972)2 एससीसी322, के आर. पुरूषोतम बनाम केरल राज्य (2005) 12 एससीसी 631, दर्शन सिंह व भसूरी बी ऑर्स बनाम पंजाब राज्य (1983)2 एससीआर 605, जसपाल सिंह उर्फ पाली बनाम पंजाब राज्य (1997)1 एससीसी 510-संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

(2008) 6 स्केल 469 संदर्भ पेराग्राफ 9

(2008) 14 स्केल 639 संदर्भ पेराग्राफ 9

(1979) 2 एससीसी 322 संदर्भ पेराग्राफ 9

(2005) 12 एससीसी 631 संदर्भ पेराग्राफ 9

(1983) 2 एससीआर 605 संदर्भ पेराग्राफ 9

(1997) 1 एससीसी 510 संदर्भ पेराग्राफ 10

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 553/2008

माननीय उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा की अपील संख्या 553/2008 में दिनांक 14.12.06 को दिए गए निर्णय और आदेश से।

टी.एस. अपीलकर्ता की ओर से दोआबिया, सुदर्शन सिंह रावत, आभा आर शर्मा, प्रार्थी की ओर से।

कुलदिप सिंह, आर. के पाण्डेय, टी.पी मिश्रा, एच.एस सन्धु, संजय कात्याल, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस. बी. सिन्हा जे.

1. यह अपील आपराधिक अपील संख्या 298 डीबी 2006 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ की एक डीवीजन बेंच द्वारा दिनांक

14.12.06 के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2006 के खिलाफ निर्देशित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष, जालंधर द्वारा दोषी ठहराते हुए पारित किया गया। यहां अपीलकर्ताको भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कठोर कारावास और 5000/- रूपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गयी। जुर्माना न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अपीलकर्ता बलदेव सिंह और प्रीतम सिंह (मृतक) भाई थे। दोनों अनिवासी भारतीय (एनआरआई) थे।

मृतक प्रीतम सिंह ने अपने भतीजे हरभिंदर सिंह, टहल सिंह और उनके भाई बलदेव सिंह के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गयी थी। कि 15 अक्टूबर 1990 की पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 21 अक्टूबर 1997 को निष्पादित बिक्री विलेख अमान्य है और शून्य क्योंकि यह कथित तौर पर जाली और मनगढंत था।

17.2.01 को लगभग 11 बजे जब प्रीतम सिंह परागपुर स्थित अपने घर से जालंधर (पंजाब) जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनके आवास पर ही उनकी हत्या कर दी गई। उक्त घटना को कथित तोर पर नाथ राम

(पीडब्लू 25) ने देखा था, जो पिछले 40 वर्षों से प्रीतम सिंह का नौकर था और मृतक का चालक परमिंदर उर्फ बिट्टू था।

17.2.2001 को दोपहर लगभग 1:40 बजे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गयी जिसे 2001 की एफआईआर संख्या 131 के रूप् में चिन्हित किया गया था। पीडब्लू 25 के द्वारा दर्ज करवायी गयी। जिसमें उसने कहा था:

> ‘‘पिछले चालीस वर्षो से मैं प्रागपुर निवासी प्रीतम सिंह के यहां नौकर के रूप में काम कर रहा हू। प्रीतम सिंह एक एनआरआई है। जो इंग्लैंड में रहते हैं। उनकी प्रागपुर गांव में कोठी और जमीन हे। मैं इसकी देखभाल करता हू। और प्रीतम सिंह भी आते-जाते रहते हैं। प्रीतम सिंह पिछले करीब 5-6 साल से प्रागपुर स्थित अपनी कोठी में रह रहे हैं। जब भी सुबह के समय प्रीतम सिंह कार में निकलते थे, तो उनके क्रॉस करने के बाद मैं गेट अन्दर से बंद कर लेता था। आज सुबह करीब 11 बजे प्रीतम सिंह खाना खाकर जालंधर जाने के लिए तैयार हो गया और मैं भी कोठी से बाहर आ गया, परमिंदर सिंह उर्फ बिट्टू चालक बाहर खडा था। जो हमारे साथ ही थे। इसी बीच दो युवक मेन गेट से अंदर आये और हमारे पास आये। इनमें से एक युवक क्लीन

शेव था जिसने खुद को पतले कंबल (लोई) से ढक रखा था। उसका कद अच्छा, रंग गेहुंआ और सिर पर हेलमेट लगाए हुए था। दूसरा गेहूआ रंग का एक सिख थाजो सिर पर पगडी पहने हुए था। और दाढी रखे हुए था। क्लीन शेव्ड व्यक्ति ने छोटी डब्लू बैरल बंदूक निकाल ली। 12 बोर की लोई अपने पास लपेट ली और प्रीतम सिंह पर गोली चला दी। तब प्रीतम सिंह ने चतुराई से खुद का बचाया और अंदर चले गये। ये दोनों युवक प्रीतम सिंह का पीछा करते हुए कैंची गेट से अंदर चले गये। तभी क्लीन शेव्ड व्यक्ति ने एक गोली चला दी, जो प्रीतम सिंह की पीठके दाहिनी ओर लगी, जिसके परिणामस्वरूप् प्रीतम सिंह सीधे फर्श पर गिर पडे और पीठ और छाती से खून बहने लगा। ये दोनों युवक अपने हथियार और गोला बारूद के साथ मुख्य द्वार से भाग गये।हम दोनों ने प्रीतम सिंह को देखा। प्रीतम सिंह का पेट फट गया था और उनकी मौत हो गयी थी। परमिंदर सिंह चालक और मैंने यह घटना देखी हे। नाराजगी का कारण यह है कि दोनों सगे भाइयों प्रीतम और बलदेव सिंह के बीच कोठी और जमीन को लेकर जालंधर की अदालत में विवाद चल रहा है, जिसकी सुनवाई के लिए कल यानी 15.2.01 की तारीख तय की गयी थी। वर्ष 1988 में बलदेव सिंह ने अपने

बेटों, दामाद और अन्य लोगों के साथ असलहों से लैस होकर कोठी और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। बलदेव सिंह और उसके साथियों ने गोलियां चलायी थी और प्रीतम सिंह पक्ष के गुरमेज सिंह की मौत हो गयी थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। इस संबंध में थाने में मुकदमा एफआईआर नम्बर 221/88 धारा 302/307,148/149 आईपीसी 25/27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें बलदेव सिंह को दोषी ठहराया गया था और उनके बेटे भगोडे है और विदेष से बंध गये है। मुझे यकी है कि अब भी बलदेव सिंह ने इन दोनों युवकों को प्रलोभन देकर भेज कर बंदूक की गोली से प्रीतम सिंह की हत्या करायी है। अगर ये दोनों युवक सामने आ जाएं तो मैं इन्हें पहचान सकता हू। मैंने अपना बयान सुना है जो सही है।"

जांच अधिकारी ने 17.2.01 को एक जांच रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने मृतक के कपडे और एक जोडी चष्मा बरामद किया, जबकि बायां शीशा गायब था। उन्होंने देखा कि मृतक की पीठ के दाहिनी ओर बंदूक की गोली का घाव है। पीठ और दाहिने हाथ में छर्रे लगने से उसका पेट फट गया। जांच अधिकारी ने घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी, खून से सना चश्में का कवर औ 12 बोर के दो खाली कारतूस भी उठाए। उन्होंने कमरे के

बाहर से एक कनाडाई चालक लाइसेंस भी बरामद किया, जिसका नम्बर 6130617 कथित तौर पर हरभिंदर सिंह का था। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

18.2.01 को मृतक का पोस्टमार्टम डॉ. एच.एस काहलों, (पीडब्लू 1) डॉ रजनीश, और डॉ रणबीर सिंह के द्वारा किया गया। यह राय थी कि मौत सदमें और रक्तस्त्राव के कारण हुई। आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण जो सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मौत तुरंत हुई थी और मौत का समय पोस्टमार्टम होने से 24 घण्टे पहले का है।

20.02.01 को हरभिंदर सिंह को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्टीय हवाई बंदरगाह से गिरफतार किया गया, जब वह लंदन के लिए रवाना होने वाले थे। उसी दिन अवतार सिंह नामक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया।

23.2.01 को हरभिंदर सिंह और अवतार सिंह दोनों ने पुलिस को खुलासा बयान दिया। कथित खुलासे की रिकॉर्डिंग के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों की निशानदेही पर कुछ बरामदगी की गयी। जिसमें कथित तौर पर बंदूक से दागे गए दो खाली कारतूस भी शामिल थे।

3. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हरभिंदर सिंह और अवतार सिंह के खिलाफ धारा 302/450 आईपीसी के साथ 34 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत आरोप तय किए।

इस दौरान बडी संख्या में गवाहों से पूछताछ की गयी। परीक्षण का एक कोर्स अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह राय देते हुए कि हरभिंदर सिंह और अवतार सिंह दोषी थे, उन्हें आईपीसी की धारा 302/450 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया।

4. निर्विवाद रूप से अपीलकर्ता -बलदेव सिंह ने 16 फरवरी 2001 को वैंकूवर के लिए भारत छोड दिया। वह 19 अगस्त 2004 को भारत लौट आए। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनके आगमन की सूचना एसएसपी, जालंधर को दी गयी। इस जानकारी के आधार पर, एएसआई हरपाल सिंह (पीडब्लू 13) ने प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने के बाद 20 अगस्त, 2004 को बलदेव सिंह को गिरफतार कर लिया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक पूरक रिपोर्ट 24 अगस्त 2005 को उनके खिलाफ दायर की गयी थी। 19 सितंबर 2005 को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत उनके खिलाफ आरोप तय किया गया था। उन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

विद्वान सत्र न्यायाधीष ने अपीलकर्ता के खिलाफ अलग से मुकदमा चलाया और अभियोजन पक्ष के 28 गवाहों से पूछताछ की। विद्वान सत्र

न्यायाधीश ने उसे आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित 120 बी आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और 5000/- रूपये के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में निम्नलिखित साक्ष्यों को ध्यान में रखा गया:-

- मृतक अपीलकर्ता का भाई था।
- उसका मकसद भाई का मरवाना था।
- ललित कुमार (पीडब्लू 26) एक स्वतंत्र गवाह होने के नाते, उसके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था।
- अवतार सिंह का बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत स्वीकार्य है।
- जिस बंदूक से पहले गोली चलाई गई थी वह अपीलकर्ता की थी।

5. जैसा कि यहां पहले देखा गया है, आपराधिक अपील दायर की गई है। अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय के द्वारा आक्षेपित निर्णय के कारण अन्य बातों के साथ-साथ खारिज कर दिया गया है:-

> ‘‘जब सभी सबूतों को एक साथ लिया जाता है, तो जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि बलदेव सिंह ने अपने भाई की हत्या की साजिश रची थी। बलदेव सिंह एक दोषी

था, जो उम्रकैद की सजा काट रहा था, सकी सजा निलंबित होने के बाद वह जमानत पर था। बलदेव सिंह समझाने में कामयाब रहा था जेल में साथी अवतार सिंह भी हरभिंदर सिंह के साथ शामिल हो गए, जो 7 फरवरी को भारत पहुंचे, बलदेव सिंह ने हथियार खरीदा, उनके बेटे ने हथियार लिया और मृतक को गोली मार दी, बलदेव सिंह ने घटना से एक नि पहले भारत छोड दिया, जबकि हरभिंदर सिंह ने कोशिश की घटना के तीन दिन बाद भागने के लिए। बाद वाले को गिरफतार कर लिया गया लेकिन पहला भागने में सफल रहा। बलदेव सिंह की बंदूक उनके बेटे हरभिंदर सिंह के कब्जे से बरामद की गयी। परिस्थितियों की उपरोक्त शृंखला इतनी संपूर्ण है कि कोई भी इसके अलावा कोई विचार नहीं कर सकता कि प्रीतम सिंह की हत्या एक साजिश के आधार पर की गयी। थी जिसमें प्रीतम सिंह का भाई बलदेव सिंह भागीदार था, नेता हो सकता है। परिस्थितियॉं बिलकुल स्पष्ट हैं और शृंखला में कोई अस्पष्टता और असंगतता नहीं दिखती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य को सुखदेव सिंह (पीडब्लू 22) और ललित कुमार (पीडब्लू 26) के साक्ष्य से भी समर्थन मिलता है। इसलिए अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि जब प्रीतम सिंह की हत्या हुई तब अपीलकर्ता

देश में नहीं था ओर हत्या की साजिश नहीं रच सकता था। स्वीकार नहीं किया जा सकता। साजिशकर्ता गुप्त रूप् से साजिश रचते हैं और योजना को अंतिम रूप देने के बाद तितर-बितर हो जाते हैं और साजिश के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग कार्य सौंपे जाते हैं। इस मामले में साजिश प्रीतम सिंह की हत्या ककी थी। यह बलदेव सिंह और उनके बेटे के बीच था। यह बलदेव सिंह और अवतार सिंह के बीच भी था। इसलिए मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इस मामलें में स्पष्ट निष्कर्ष यह होगा कि बलदेव सिंह वास्तव में साजिश का सदस्य था। उपरोक्त के आलोक में सुखदेव सिंह एवं ललित कुमार के साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य को समर्थन प्रदान करते हैं। इस तर्क का कोई समर्थन नहीं मिलता है कि हरभिंदर सिंह ने अपने पिता के आदेश पर काम नहीं किया था, न तो रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से और न ही किसी अन्य परिस्थिति से। यह तर्क खोखला है क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसके भाई की हत्या में साजिशकर्ता के रूप में उसकी भागीदारी के संबंध में बहुत मजबूत है।"

6. निर्विवाद रूप से घटना 17.2.01 को हुई थी। अपीलकर्ता 16.02.01 को यानी घटना की तारीख से एक दिन पहले भारत से वैंकूवर

(कनाडा) के लिए रवाना हुआ था। अगस्त 2004 में जब उन्हें गिरफतार किया गया तो वह भारत वापस आये। हालॉकि मुख्य आरोपी अवतार सिंह और हरभिंदर सिंह पर अलग-अलग मुकदमा चलाया गया। हम देख सकते हैं कि हरभिंदर सिंह को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। और अवतार सिंह को धारा 302/34 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया था। उन्हें आईपीसी की धारा 450 के तहत भी दोषी पाया गया। जहां हरभिंदर सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया, वहीं अवतार सिंह को धारा 25 के तहत दोषी पाया गया।

हालॉकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अवतार सिंह और हरभिंदर सिंह पर आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध करने का आरोप नहीं लगाया गया था। इस संबंध में कानूनी स्थिति थोडी देर बाद घोषित की जाएगी। इस स्तर पर, ने ललित कुमार (पीडब्लू 26) के साक्ष्य पर भरोसा करते अपीलकर्ता एफ के खिलाफ दोषिसिद्धी और सजा का उपरोक्त निर्णय पारित किया है, जो एक टेक्सी चालक था और कहा जाता है कथित साजिश रचने के संबंध में आरोपियों के बीच की बातचीत को सुनना और जी सुखदेव सिंह (पीडब्लू 22) के समक्ष अवतार सिंह द्वारा की गयी एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर भी। अब यह स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त दो सबूतों के अलावा, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अन्य सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।

7. पीडब्लू 26 ललित कुमार-एक टेक्सी चालक था। 15.1.02 को कोर्ट में उनका बयान दर्ज कराया गया। आरोपी व्यक्ति है। बताया जाता है कि उसने परागपुर जाने के लिए गोराया से अपनी टैक्सी किराये पर ली थी। रास्तें में वे एक ढाबे पर रूके। उनके अनुसार, हालांकि वह एक टेक्सी चालक था, लेकिन वह आरोपी के साथ खाना-पीना साझा करता था। बताया जाता है कि उक्त ढाबे पर ही उनके बीच प्रीतम सिंह की हत्या की योजना पर चर्चा हुई थीं एक ओर, उन्होंने उनके साथ भोजन और पेय साझा किया। अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह आरोपी व्यक्तियों को पहले से नहीं जानता था। उसे अपनी टैक्सी का नम्बर याद नहीं था। वह टैक्सी का मालिक नहीं था। उसने सिर्फ पॉच दिन टैक्सी चलाई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह राणा के साथ अदालत में आए थे, जिन्होने मामलें में सक्रिय रूचि दिखाई थी।

जब उनसे जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए उनके बयानों का सामना किया गया, तो उन्होंने कहा- '' मेरे उपर दिए गए दो बयानों में से आरोपी द्वारा अहाता में शराब पीने के संबंध में मेरा बयान सही है और आरोपी द्वारा ढाबे में शराब पीने का मेरे दूसरा बयान गलत है उक्त अहाता में 3-4 लोग और भी थे''

निर्विवाद रूप से उन्होंने उक्त तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताया। उन्होंने पहली बार पुलिस के सामने अपना बयान दिया। इसके बाद ही उन्होंने कोर्ट में बयान दिया।

8. यद्यपि अभियुक्तों से उसका कोई परिचय नहीं था। वह न केवल अदालत में अभियुक्तों की पहचान कर सकता था बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनके उपनाम और उनके जीवन के उद्देश्य को भी जानता था। माना राणा, सरस्वती मिल स्टोर नामक व्यावसायिक कंपनी में उनके भागीदार हैं, जिसका कार्यालय राणा की इमारत में स्थित हे। हमारी राय में, उनके साक्ष्य आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।

9. आईपीसी की धारा 120ए में साजिश को इस प्रकार परिभाषित किया गया है।- ‘‘120 ए आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा- जब एक या अधिक व्यक्ति ऐसा करने के लिए सहमत होते है, या करवाने के लिए सहमत होते हैं।’’

- एक अवैध कार्य या
- कोई कार्य जो अवैध तरीकों से अवैध नहीं है, ऐसे समझोते को आपराधिक साजिश नामित किया गया है।

बशर्ते कि किसी अपराध को करने के समझौते को छोडकर कोई भी समझौता आपराधिक साजिश नहीं माना जाएगा। जब तक कि समझौते के

अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में ऐसे समझौते के एक या अधिक पक्षों द्वारा नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण- यह महत्वहीन है कि क्या अवैध कार्य ऐसे समझौते का अंतिम उद्देश्य है, या केवल उस उद्देश्य के लिए आकस्मिक है''

सजिश का अपराध जो एक अलग और विशिष्ट अपराध है, इस प्रकार, इसमें एक से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी की आवश्यकता होगी।

आपराधिक साजिश एक स्वतंत्र अपराध है। यह अलग से दण्डनीय है। इसकी सामग्रिया है-

- दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता।
- समझौता या तो (ए) एक गैरकानूनी कार्य करने या करवाने से संबधित होना चाहिए। (बी) ऐसा कार्य जो अपने आप में अवैध नहीं है लेकिन अवैध तरीकों से किया गया है।

हालॉकि, अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि आम तौर पर यह एक साजिश है। गुप्त रूप् से रचा गया है। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि उक्त अपराध किया गया या नहीं, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार कर सकती है। हालॉकि ऐसा करते समय यह समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि मन का मिलन आवष्यक है। केवल ज्ञान या चर्चा पर्याप्त नहीं होगी।

उक्त प्रश्न पर एक बार फिर विचार करते हुए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने योगेश उर्फ सचिन जगदीश जोशी बनाम महाराष्ट राज्य 2008 के स्केल 6 की एक डीविजन बेंच में कहा कि- " इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी अवैध कार्य या अवैध तरीकों से किसी कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के दिमागों का मिलना आपराधिक साजिष का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन यह प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उनके बीच हुए समझोते को साबित करना संभव नहीं हो सकता है। फिर भी, आसपास की परिस्थितियों और अभियुक्तों के आचरण से साजिश षडयंत्र रचने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी अवेध काय को करने के लिए या अवैध तरीकों से किसी कार्य को करने के लिए मन का मिलना पहली और प्राथमिक शर्त है और यह आवश्यक नहीं है कि सभी षडयंत्रकारियों का षडयंत्र के प्रत्येक विवरण की जानकारी हो। न ही यह आवश्यक है कि प्रत्येक षडयंत्रकारियों के बीच सहमति का अनुमान लगाया जा सकता है। जयादातर मामलों में साजिशे परिस्थितियों और सजिश में शामिल अभियुक्तों के बाचरण से घटाया जाता है। साजिश के सबूतों की सराहना करते समय, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को नियंत्रित करने साले प्रसिद्ध नियम का ध्यान में रखना न्यायालय के लिए अनिवार्य है, जैसे कि प्रत्येक और प्रत्येक आपतिजनक परिस्थिति को स्पष्ट रूप से विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और साबित की गई परिस्थितियों की एक श्रृंखला बननी चाएि। ऐसी घटनाए जिनसे अभियुक्त के अपराध के बारे में

एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है, और अपराध के विरूद्ध कोई अन्य परिकल्पना संभव नहीं है। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक साजिश एक स्वतंत्र अपराध है। गैरकानूनी समझौता भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध गठित करने के लिए अनिवार्य है और कोई उपलब्धि नहीं है। षडयंत्र में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच योजना या समायोजन शामिल होता है जो व्यक्त या निहित या आंशिक रूप से व्यक्त और आंशिक रूप से निहित हो सकता है। षडयंत्र का अपराध अनुबंध समाप्त होने तक जारी रहेगा।

दर्शन सिंह उर्फ भसुरी वगैरह बनाम पंजाब राज्य 1983 2 एससीआर 605 इस अदालत ने आगाह किया कि अदालत को आम तौर पर कमजोर सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति को सजिश के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए, यह कहते हुएः

> " साजिश के बारे में सबूत सोहन सिंह, सूरत सिंह पीडब्लू 27 के मरने से पहले दिए गए बयान के सबूत जितने ही कमजोर हैं, आरोपी नम्बर 1 दर्शन सिंह उर्फ भसूरी के घर में सह-षडयंत्रकारियों के बीच एक बैठक की बात करते हैं हम नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि सूरत सिंह जैसे बिल्कुल अजनबी की उपस्थिति में साजिशकर्ता इन हत्योओं को करने की अपनी योजनाओं पर चर्चा करेंगे, सारी

सावधानी को दरकिनार कर देंगे। उच्च न्यायालय का जवाब है कि साजिश पर चर्चा करते समय साजिशकर्ता शराब पी रहे थे। और ' जब शराब का सेवन किया जाता है तो प्रभाव मेमं कभी-कभी अधिकांश गुप्त बातें किसी ऐसे व्यक्ति के सामने उजागर हो जात है जिसका आपस में इतना गहरा संबंध न हो। अक्सर कहा जाता है, जब शराब अंदर जाता है तो सच सामने आ जाता है।

यह कुछ हद तक कलाहीन है। शराब कोई झूठ को पकडने वाली मशीन नहीं है और हम यह नहीं मान सकते कि आरोपी न 1 और 2 इतने नशे में थे कि अपने बीच में किसी अजनबी की मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहे थे, फिर भी इतने नशे में नहीं थे कि अपने आपराधिक इरादे के क्रियान्वयन पर चर्चा करने में असमर्थ हो। इसके अलावा, सूरत सिंह घटना के बारे में सब भूल गया और कुछ दिनों बाद पुलिस ने उससे संपर्क किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश का यह मानना सही था कि सूरत सिंह के साक्ष्य में कुछ कमजोरियॉ है, जिसके कारण काई भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। हम और आगे बढेंगे और कहेंगे कि उनके साक्ष्य इतने अप्राकृतिक है कि उन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा सकता। मकसद के सबूत के अलावा,

साजिश के संबंध में सूरत सिंह का सबूत आरोपी नम्बर 1 भसूरी और आरोपी नम्बर 2 जोगा सिंह के खिलाफ एकमात्र सबूत है। इन सबूतों के आधार पर ही इन दोनों आरोपियों को दंड संहिता का धारा 302 के साथ पढी जाने वाली धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया है, पहले को मौत की सजा दी गई। और दूसरे को, उसकी कम उम्र के कारण, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।''

अब हमारे पास सह-अभियुक्त अवतार सिंह द्वारा कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति का प्रश्न रह गया है। ऐसी कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अवतार सिंह द्वारा सुखदेव सिंह पीडब्लू 22 के समक्ष की गई थी। जिस गांव के बीच की दूरी 100 किमी बताई गई थी। कथित तोर पर वह 18.02.01 को सुबह लगभग 9 बजे सुखदेव सिंह से मिलने गया थ्ज्ञा। बिना किसी स्पष्ट कारण साथ मिलकर प्रीतम सिंह से मिलने गया था। एक कथित खुलासा यह भ्ज्ञी किया गया कि हत्या यहां अपीलकर्ता के कहने पर की गई थी। उन्हें अगले दिन आने को कहा गया। उसके बाद न तो वह उससे मिलने गया और न ही उसे पीडब्लू 22 द्वारा पुलिसि के सामने पेश किया गया। यह दिखाने के लिएि रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अवतार सिंह द्वारा इस तरह की कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पुलिस अधिकारियों को बताई गयी थी। पीडब्लू 22 का बयाना 19.02.01 को दर्ज किया गया है।

यदि वह अवतार सिंह के परिवार से इतना परिचित था, तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह यह बताने की स्थिति में न होता कि उसके परिवार की संरचना क्या था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे कभी अवतार सिंह के गांव नहीं गये।

न्यायेतर स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय पाया जाना चाहिए। पीडब्लू 22 की जांच पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ अन्य मामलों में भी की गई थी। उसके सामने सुझाव रखा गया कि वह पुलिस का दलाल है। इसलिए हमारी राय में उनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो वह जो कि दोषसिद्धी और सजा का निर्णय दर्ज करने का आधार नहीं बना सकता है। यदि उसके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वह भी साजिश के मामलें में। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में सह- अभियुक्त के खिलाफ सजा का फैसला दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

जसपाल सिंह उर्फ पाली बनाम पंजाब राज्य में 1997 1 ए एससीसी 510 इस न्यायालय ने कहाः

> " 15 श्री सोढी का तीसरा तर्क, कि यह बेहद असंभव है कि जसपाल सिंह ए-1 अपने सह-अभियुक्तों के साथ अपराध कबूल करने के लिए इस गवाह के पास गया होगा, उतना ही

दुर्जेय है। छोटा सिंह पीडब्लू 7 ने कोई कारण नहीं बताया है कि क्यो और कैसे जसपाल सिंह ए-1 और अन्य सह अभियुक्तों ने उस पर इतना भरोसा जताया ओर अपना अपराध कबूल किया। छोटा सिंह पीडब्लू 7 के साक्ष्यों का देखने के बाद, हमने वर्तमान अपराध में किसी भी अपीलकर्ता को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।''

उपरोक्त कारणो से, आक्षेपित निर्णय टिकाउ न होने के कारण निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता हिरासत में है। जब तक किसी अन्य मामलें के संबंध में वांछित न हो, उसे रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रीतिसिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।